



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष, 1946 (श०)

संख्या - 20 राँची, शुक्रवार,

3 जनवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

17 दिसम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-47/2022 का.--28723 (HRMS)--श्री अमित कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-304/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत, गढ़वा के विरुद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-3471, दिनांक 30.09.2022 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

आरोप सं०-1- श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत में सोलर लाईट अधिष्ठापन, फोगिंग मशीन क्रय एवं अन्य प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-155 दिनांक 16.12.2020 द्वारा गठित विभागीय जाँच समिति द्वारा अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि स्ट्रीट लाईट सिस्टम की खरीद तो GeM पोर्टल से हुई है। परन्तु प्रति ईकाई मूल्य 294500.00 अधिक प्रतीत होता है। Bidding के पश्चात् L1 को कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व GeM के General Terms and Conditions के प्रावधानित General Financial Rule, 2017 के

Rule-149 के प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई किये जाने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिसके कारण वास्तविक मूल्य से ज्यादा पर खरीद प्रतीत होने का उल्लेख किया गया है। उक्त आरोप के संबंध में श्री अमित कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण में उल्लेखित है कि :-

1. GeM rule and regulation clause 4 enabling provisions of rule 149 of general financial rules 2017 अंतर्गत कंडिका- iii. Above Rs. 30,00,000/- Through the supplier having lowest price meeting the requisite quality, specification and delivery period after mandatorily obtaining bids, using online bidding of reverse auction tool provided on GeM का प्रावधान है ।

2. JREDA (Jharkhand Renewable Energy Development Agency) से प्राप्त जानकारी के आलोक में 240 वाट एवं 4 बल्ब (Luminors) एवं एसेसरिज के साथ इसका मूल्य 240000.00 है, जबकि नगर पंचायत, श्री बंशीधरनगर द्वारा लगाये गये 06 बल्ब (Luminors) की कीमत रु० 294500.00 है, जो अधिक प्रतीत नहीं होता है ।

उक्त आरोप एवं इस पर श्री कुमार से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण पर तकनीकी कोषांग (मुख्यालय) से प्राप्त मंतव्य निम्नवत् है:-

JREDA का पत्रांक WO No. 100/2021-22 दिनांक 07.06.2021, NIT No. 12/JREDA/SHMLs/2021-22 पर LED Based Solar High Mast Lightning System का दर रु० 240000/- अंकित है, जो कि वर्ष 2020-21 का दर है। उक्त पत्रांक में संलग्न Technical Specification NIT No. 09/JREDA/SHMLs/21-22 का है, जो कि भिन्न है एवं वर्ष 2021-22 का है। श्री बंशीधरनगर, नगर पंचायत द्वारा High Mast Light, GeM Portal से क्रय हेतु वर्ष 2019-20 में प्रक्रिया किया गया है, जिसका Specification, JREDAs Specification से भिन्न है एवं NIT का वर्ष भी भिन्न है ।

आरोप सं०-2- स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन के गुणवत्ता रहित कार्य, बिना कार्य पूर्ण किये गये भुगतान करने तथा कीमत के सही मूल्यांकन GeM के General Terms and Conditions के General Financial Rule, 2017 के Rule-149 के प्रावधानों का पालन किये बिना मूल्य निर्धारण करने का उल्लेख किया गया है ।

उक्त के आरोप के संबंध में श्री अमित कुमार, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि:-

GeM rule and regulation clause 4 enabling provisions of rule 149 of general financial rules 2017 अंतर्गत कंडिका- iii. Above Rs. 30,00,000/- Through the supplier having lowest price meeting the requisite quality, specification and delivery period after mandatorily obtaining bids, using online bidding of reverse auction tool provided on GeM का प्रावधान है ।

उक्त प्रावधान एवं विभागीय अनुदेश के अनुरूप GeM Portal से 33 सोलर लाईट सभी एसेसरीज की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गयी। निविदा आमंत्रण अपलोडिंग दिनांक 16.03.2020 से दिनांक 26.03.2020 की अवधि में किया गया। प्राप्त निविदाओं के दर की जाँच की गयी। न्यूनतम उद्धृत करने वाले L1 निविदादाता मे० पंकज कम्प्यूटेक सॉल्यूशन को रुपये 9718500.00 का कार्यादेश निर्गत किया गया ।

उक्त आरोप एवं इस पर श्री कुमार से प्राप्त उक्त स्पष्टीकरण पर तकनीकी कोषांग (मुख्यालय) से प्राप्त मंतव्य निम्नवत् है:-

GeM Portal से क्रय अपनायी गयी प्रक्रिया से संबंधित है। GeM Portal से कोई भी GFR 2017 के प्रावधानों के अनुरूप करना है। GFR 2017 के Rule No. 149(vi) में निम्नलिखित प्रावधान है- “The Government Buyers may ascertain the reasonableness of price before placement of order using the business analysis (BA) tools available on GeM including the last purchase price on GeM, Department's own last purchase price etc.”

श्री बंशीधरनगर, नगर पंचायत द्वारा उक्त नियम का अनुपालन क्रय के पूर्व करना चाहिए था, जिससे कि न्यूनतम दर का reasonableness जात हो सके ।

आरोप सं0-3- सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3 (1) (i), (ii) एवं (iii) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक से पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, परंतु श्री कुमार द्वारा इसका पालन नहीं किया गया ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-6705, दिनांक 21.10.2022 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसके अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-1553, दिनांक 10.12.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-407, दिनांक 18.01.2023 द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की माँग की गई। उक्त के आलोक में नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-1658, दिनांक 28.04.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया ।

3. उक्त के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-23108(HRMS), दिनांक 31.07.2023 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-16, दिनांक 11.01.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप संख्या-1 एवं 2 को प्रमाणित एवं आरोप-3 आंशिक रूप से प्रमाणित, प्रतिवेदित किया गया ।

4. श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री कुमार के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के

नियम-14(iv) अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित किया गया एवं उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-4886, दिनांक 25.07.2024 द्वारा श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गई।

5. उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्र, दिनांक 15.10.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। द्वितीय कारण पृच्छा में इनके द्वारा समर्पित मुख्य तथ्य निम्नवत् है-

“उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही GeM पोर्टल से क्रय किया गया है। उक्त कार्य कोविड वैश्विक महामारी के समय किया गया है। नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत साफ-सफाई एवं सैनिटाइजेशन आदि का कार्य देर रात्रि तक किया जाता था। इस क्षेत्र में प्रकाश की उपलब्धता के उद्देश्य से सोलर लाईट लगाया गया। चूँकि वर्ष 2020 में कोविड महामारी के कारण संपूर्ण लॉक डाउन होने की स्थिति में न्यूनतम दर का Resonableness ज्ञात नहीं किया जा सका एवं GeM पोर्टल अंतर्गत Online Processed Bill से कटौती का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु Liquidated से संबंधित कंडिका के प्रावधान के आलोक में अधिकतम 10 प्रतिशत की राशि यानी कुल ₹० 971850.00 (नौ लाख एकहत्तर हजार आठ सौ पचास) की राशि विभागीय हित में कार्य की गुणवत्ता अनुरक्षण एवं संचालन हेतु कटौती की गई।

श्री कुमार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगर उंटारी के पद पर पदस्थापित के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, श्री बंशीधननगर का था। उसके अतिरिक्त उपायुक्त, गढ़वा के निदेशानुसार विभिन्न विभागों यथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नगर उंटारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, नगर उंटारी के रूप में इनके द्वारा कार्यों का निष्पादन ईमानदारी पूर्वक किया गया।

वैश्विक महामारी कोविड काल में अंतर्राज्यीय सीमा पर चेक पोस्ट तथा क्वारंटाइन केन्द्र, महदेइया जेल का संचालन इनके द्वारा सफलतापूर्वक किया गया।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नगर उंटारी से स्थानांतरण होने के उपरांत धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड का प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यों का निष्पादन निष्ठापूर्वक किया गया। बलियापुर से स्थानांतरित होकर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी, लातेहार के पद पर पदस्थापन के बाद मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य का सफलता पूर्वक निष्पादन किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अभी तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी तथा अन्य निदेशित पदभार में इन्होंने अपने कर्तव्यों का निष्पादन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक किये हैं। वरीय अधिकारियों द्वारा जो भी कार्यों का दायित्व दिया गया, उसका निष्पादन भी पूरी ईमानदारी एवं निष्ठापूर्वक किया गया है।”

6. श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जबाब में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है, जो उनके द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के समक्ष अपने लिखित बचाव बयान में दिया गया है। विभागीय जाँच पदाधिकारी के द्वारा एवं विभाग के द्वारा पूर्व में उनके बचाव बयान की समीक्षा की जा चुकी है। श्री कुमार के द्वारा उनके विरुद्ध प्रमाणित आरोपों को अप्रमाणित करने के लिए कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री अमित कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-304/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अमित कुमार, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	AMIT KUMAR 110062116415	श्री अमित कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-304/20), तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, श्री बंशीधरनगर नगर पंचायत, गढ़वा के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव ।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
